न्यायालय : जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

नियमित जमानत आवेदन संख्या 1266 / 2026

04.07.2026

आवेदक **अभियुक्त अमर कुमार** की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक को **लड़ैयाटॉड थाना काण्ड संख्या 26 / 2026** अन्तर्गत **धारा 115 (2), 126 (2), 109, 140 (1), 352 (2) बी0एन0एस0** में प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

आवेदक अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक द्वारा पूर्व में कोई नियमित जमानत आवेदन एवं अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल नहीं है और इस केस के अलावे अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा आवेदक का जमानत आवेदन निचली अदालत द्वारा खारिज किया जा चुका है। आवेदक एक छात्र है और वह रामानंद हाई स्कूल, धरहरा में दसवीं कक्षा में है। आवेदक के पिता चौकिदार है, जिसने कथित पीड़िता के पिता पर आपत्ति जताई थी कि सूचक धनेश्वर कोड़ा के खिलाफ अवैध कारोबार स्थानीय क्षेत्र में अवैध देशी शराब के साथ उस दिन एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी। सूचक और उसके अन्य दोस्तों ने आवेदक को अवैध रूप से पकड़ लिया और उसके साथ बूरी तरह से मारपीट की और फिर प्राथमिकी दर्ज करावाई, जो पूरी तरह से झूठी, हेरफेर और मनगढ़त कहानी के साथ खुद को उक्त घटना से बचने के लिए किया। आवदेक अभियुक्त निर्दोष है और दिनांक 21.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक के खिलाफ बी0एन0एस0 की धारा 140 (1) के तहत आरोप नहीं बनता है और अपरहण की कहानी पूरी तरह मनगढंत और झूठी है। यह कहना बहुत बेतुका है कि एक अकेला व्यक्ति / आरोपी एक मोटरसाईकिल पर अकेले 18 वर्ष की एक युवा लड़की का अपहरण करने का प्रयास कर सकता है, इसलिए आवेदक अभियुक्त पर धारा 364 (A) भा0द0वि के तहत आरोप नहीं बनता है। आवेदक अभियुक्त द्वारा पीड़िता पर हमला करने के लिए किसी भी हथियार का कोई उपयोग नहीं था, जैसा कि प्राथमिकी में कथित रूप से आरोपित था, इसलिए पिड़िता को मारने के लिए आवेदक का कोई इरादा नहीं था, हालांकि कथित पिड़िता को पूरी तरह से कोई चोट लगी है। इस वाद में आवेदक को झूठा फंसाया गया है। आवेदक पर कथित पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न करने का कोई आरोप नहीं है। ग्रामीणों के हस्तक्षेप पर दोनों पक्षों ने मामले को विधिवत रूप से समझौता हो गया है और न्यायालय में इस संबंध में एक समझौता याचिका भी दायर की है कि वास्तव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय के प्रत्येक नियम और शर्तो का पालन करने के लिए तैयार है तथा आवेदक किसी भी उचित राशि का जमानत बांड देने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को रिहा करने की कृपा की जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

न्यायालय : जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश

व्यवहार न्यायालय,

नियमित जमानत आवेदन संख्या 1266 / 20

जमानत आदेश दिनांक 04.07.20

लगातार

04.07.2026

उभयपक्षों को सुना अभिलेख तथा काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्त अमर कुमार दिनाक 21.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है एवं अभिलेख पर शपथ पत्र के साथ सूचक के द्वारा पीड़िता कांति कुमारी के साथ समझौता पत्र दाखिल किया गया है और अभियुक्त को कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है, जो कांड दैनिकी के पारा 46 से स्पष्ट है तथा कारित जख्म गंभीर प्रकृति का नहीं है एवं पीड़िता के धारा 161 दप्रस0 / 180 बी0एन0एस0एस0 से स्पष्ट है कि मोटरसाईकिल से गिरने से चोट कारित हुई है, जिसका समर्थन पीड़िता एवं सूचक के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर किया गया है। अतः उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक अभियुक्त को नियमित जमानत का लाभ देना उचित समझते है।

ऐसी स्थिति में काराधीन अभियुक्त के न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि एवं सह–अभियुक्तों को जमानत प्रदान किए जाने के आलोक में काराधीन अभियुक्त अमर कुमार को निम्नलिखित शर्तों पर मो0 10,000 / –(दस हजार रूपये) रूपया के दो (02) समान राशि के प्रतिभूओं सहित बंधपत्र पर जमानत प्रदान करती है।

1. **एक जमानतदार आवेदक के घर का सदस्य अथवा निकट संबंधी होगा।**
2. **काराधीन अभियुक्त अन्तर्गत धारा 480 (3) बी0 एन0 एस0 एस0 के शर्तों पर शपथपत्र दाखिल करेंगे।**
3. **आरोप गठन तक सदेह उपस्थित रहेंगे।**

कार्यालय आदेश की प्रति अविलंब संबंधित न्यायालय में भेंजे।

लेखापित

(विकास मिश्र)

जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय

व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

दिनांक 04.07.2026